

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- बिजारी

प्रकरण संख्या:- 23/2025

दिनांक:- 24/6/2025

श्री हैमराज पुत्र  
राजेश्वर शर्मा शर्मा नि  
सांधोली

उपनाम

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का बिजारी भू. अ. नि. सादलवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सांधोली प.0 ह.0 बिजारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 20 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	रहन	स्टेट बैंक ग्राफ डीकॉन्ट हंग एस्ट राज्य स.मा. सवाई माधोपुर	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया राज्य स.मा.

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा अधिकारी

प्रतिदिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री हैमराज पुत्र राजेश्वर शर्मा शर्मा नि सांधोली
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)